Additional Burden of States Due to Revision of Pay Scales and Pensions

688. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the additional burden on States due to revision of pay scales and pensions of State Government staff which is necessitated after the implementation of the 5th Pay Commission report for Central Government employees;

(b) if so, the steps taken to make additional allocation to the State Government during the current financial year; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) It is not obligatory for the State Governments to adopt the Central Government pay scales consequent to the report of the Vth Pay Commission. Should any State Government decide to revise its employees' pay scales, it will have to bear the additional financial burden itself.

Number of Branches of Reserve Bank of India in Different States

689. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of branches of Reserve Bank of India (RBI) in different states;

(b) the year since on those branches have been functioning in Orissa;

(c) how many Central Government Offices of Orissa have their accounts in the local RBI of Bhubaneswar;

(d) whether some Central Government Offices have their accounts at the Calcutta Branch of RBI; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) According to Reserve Bank of India at present they have 22 offices throughout the country as per details given below:

	States	Offices AT
1.	State of Andhra Pradesh	Hydcrabad
2.	State of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland & Tripura	Guwahati
3.	State of Bihar	Patna
4.	State of Delhi	New Delhi
5.	State of Gujarat	Ahmedabad
6.	State of Goa	Panaji*
7.	State of Jammu & Kashmir	Jammu, Srinagar*
8.	State of Karnataka	Bangalore
9.	State of State of Kerala & Union Territory of Lakshadweep	Kochi* Thiruvananthapuram
10.	State of Maharashtra and Union Territories Dadra and Nagar Haweli Deman & Diu	Mumbai Byculla Nagpur
11.	State of Madhya Pradesh	Bhopal
12.	State of Orissa	Bhubaneswar
13.	State of Rajasthan	Jaipur
14.	State of Tamil Nadu	Chennai
15.	State of Uttar Pradesh	Kanpur, Lucknow
16.	States of West Bengal, Sikkim & Union Territory of Andaman & Nicobar	Calcutta
17.	States of Punjab, Himachal Pradesh & Union Territory of Chandigarh	Chandigarh

*Only exchange control department.

(b) RBI's Office Bhubneshwar started functioning since 1962.

(c) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना के अधीन बेहिसाबी धन की घोषणा

690. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू करने के बाद अपने बेहिसाबी धन की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) इस योजना के शुरू होने के पश्चात् अब तक इसके अंतर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ग) यह योजना काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से विगत में शुरू की गई इसी प्रकार की अन्य योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना दिनांक 1.7.1997 से प्रचालन में आयी दिनांक 31.12.1997 तक लागू रहेगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक पूर्ण गोपनीयता है जिसे घोषणाकर्ताओं के संबंध में बनाए रखा जा रहा है। इस योजना की प्रतिक्रिया काफी हद तक उक्त गोपनीयता को बनाए रखने में विभाग की क्षमता पर भावी घोषणाकर्ताओं के विश्वास पर निर्भर करेगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस योजना में यह व्यवस्था है कि घोषणाएं केवल आयकर आयुक्तों के पास प्रस्तुत की जाएंगी। इसी कारण से घोषणाकर्ताओं की संख्या अथवा घोषित की गई धनराशि आदि के बारे में आयुक्तों के केन्द्रीयकृत रूप से ब्यौरे प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के प्रचालन की अवधि के समाप्त होने पर स्थिति की समीक्षा की जाए।

(ग) वर्तमान योजना और पूर्ववर्ती योजनाओं के बीच मुख्य अंतर निम्नानुसार हैं:—

I. कर दर:

वर्तमान योजना के अन्तर्गत कर की वसूली समान दर पर की जाती है जबकि अधिकांश पूर्ववर्ती योजनाओं में तालिका में निर्धारित की गई क्रमवर्ती दरों पर कर प्रभारित किया जाता है।

II. धन का प्रकटन:

मौजूदा योजना के अन्तर्गत धन के प्रकटन की अनुमति नहीं दी जाती है। इस योजना आय के प्रकटन के लिए है।

III. कर का भुगतान:

मौजूदा योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक रूप से प्रकटित की गई आय के संबंध में संदेय कर को घोषणा दायर करने के पूर्व अदा करना होता है। यदि घोषणा दायर करने से पूर्व कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो घोषणाकर्ता को घोषणा दायर करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर कर (ब्याज सहित) कर भुगतान करना होता है । यदि घोषणाकर्ता इन तीन महीनों की समाप्ति से पूर्व कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो उक्त घोषणा को शून्य समझा जाएगा। अधिकांश पूर्ववर्ती योजनाओं में कर का भुगतान किस्तों में किया जा सकता था। मौजूदा योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ घोषणाकर्ता को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अर्थदंड और अभियोजन से उन्मुक्ति की अनुमति दी जाती है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संबंध में उक्त अन्मुक्ति मोटे तौर पर उसी प्रकार की है जैसी कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

V. तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में आय का प्रकटन:

मौजूदा योजना का लाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में, जिस वर्ष में तलाशी की गई है अथवा किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में उपलब्ध नहीं है। इस योजना का लाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में भी उपलब्ध नहीं है जिस वर्ष में सर्वेक्षण किया गया है। आय और धन की स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1976 के अन्तर्गत तलाशी के मामलों में भी शर्तों के अनुसार कुछेक लाभ उपलब्ध थे।

Burden on People in the Name of Implementing the Fifth Pay Commission Report

691. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports that